# भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन डेटा प्रबंधन ढांचे में सुधार हेतु रणनीतिक सिफारिशें

जनवरी 2023

GMDAC
IOM's Global Migration Data Analysis Centre

IOM
UN MIGRATION

Indian Council of World Affairs

इस प्रकाशन में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के निजी विचार हैं और यह आवश्यक नहीं कि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के विचारों को दर्शाते हों। नियोजित पदनाम तथा पूरे प्रकाशन की अंतर्वस्तु किसी भी देश, क्षेत्र, शहर या क्षेत्र, या उसके अधिकारियों की कानूनी स्थिति, या उसकी सीमाओं के संबंध में आईओएम की राय की अभिव्यक्ति नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है कि मानवीय एवं व्यवस्थित प्रवासन से प्रवासियों और समाज दोनों को लाभ होता है। अंतरसरकारी संगठन होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने भागीदारों के साथ मिलकर निम्न कार्य करता है: प्रवासन की परिचालन चुनौतियों का सामना करने में सहायता करना; प्रवासन संबंधी मुद्दों का अग्रिम बोध; प्रवासन के ज़रिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना; और प्रवासियों की मानवीय गरिमा एवं भलाई को अनुरक्षित रखना।

---

यह प्रकाशन विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए), और वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र (जीएमडीएसी) द्वारा प्रदान किए गए समर्थन से संभव हुआ है। यहां व्यक्त की गई राय लेखक की हैं और जरूरी नहीं कि वे परियोजना भागीदारों के विचारों को प्रतिबिंबित करें।

प्रकाशक: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन अंतर्राष्ट्रीय संगठन
17 रूट डेस मोरिलॉन्स
पी.ओ. बॉक्स 17
1211 जिनेवा 19
स्विट्ज़रलैंड
दूरभाष: +41 22 717 9111
फैक्स: +41 22 798 6150 ईमेल: hq@iom.int वेबसाइट: www.iom.int

---

लेखक: मिशेल पौलेन, ऐनी हर्म और गिआम्बतिस्ता कैंटिसानी
परियोजना समन्वयक: संजय अवस्थी और सुरक्षा चन्द्रशेखर
परियोजना भागीदार: विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए), वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र (जीएमडीएसी)
कॉपी संपादक: त्रिदिशा दत्ता
लेआउट कलाकार: युक्ति प्रिंट्स

कवर फोटो:

**© आईओएम 2023**

कुछ अधिकार सुरक्षित हैं। यह प्रकाशन क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन-नॉन-कमर्शियल-नोडेरिव्स 3.0 आईजीओ लाइसेंस (सीसी बाय-एनसी-एनडी 3.0 आईजीओ) के तहत उपलब्ध कराया गया है।*

अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉपीराइट एवं उपयोग की शर्तें देखें।

इस प्रकाशन का उपयोग, प्रकाशन या पुनर्वितरण ऐसे उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो मुख्यतः व्यावसायिक लाभ या मौद्रिक मुआवजे हेतु हों, लेकिन शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत किए जाने हेतु।

अनुमतियाँ: व्यावसायिक उपयोग या अन्य अधिकारों एवं लाइसेंसिंग के लिए publications@iom.int पर अनुरोध किया जाना चाहिए।

* https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode

# भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन डेटा प्रबंधन ढांचे में सुधार हेतु रणनीतिक सिफारिशें

जनवरी 2023

GMDAC
IOM's Global Migration Data Analysis Centre

IOM
UN MIGRATION

Indian Council of World Affairs

# अंतर्वस्तु तालिका


आभारोक्ति 4

संकेताक्षर सूची 5

कार्यकारी सारांश 6

अवलोकन

भारतीय संदर्भ 7

भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर डेटा संग्रह का मौजूदा ढांचा 7

कार्यप्रणाली 9

सिफारिशें 10

1. विदेश मंत्रालय (एमईए) 10

1.1. तत्काल: ई-माइग्रेट 10

1.2. भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव और बिग डेटा का इस्तेमाल 13

1.3 लिंग-उत्तरदायी प्रवासन डेटा प्रबंधन 14

1.4. मध्यम अवधि: कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग 17

1.5. दीर्घकालिक: राष्ट्रीय प्रवासन डेटा प्रबंधन 18

1.6. विदेश मंत्रालय के लिए प्रवासडेटा प्रबंधन पर अतिरिक्त विचार 18

2. गृह मंत्रालय 20

2.1. रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयोग का कार्यालय 20

2.2. आप्रवासन ब्यूरो 21

3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 22

प्रमुख सिफ़ारिशों का सारांश 23

# आभारोक्ति

यह मार्गदर्शन टिप्पणी मिशेल पौलेन, ऐनी हर्म और गिआम्बतिस्ता कैंटिसानी द्वारा लिखा गया था। परियोजना प्रमुख मिशेल पौलेन, यूसी लौवेन, बेल्जियम में प्रोफेसर एमेरिटस एवं तेलिन विश्वविद्यालय, एस्टोनिया में एक वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। ऐनी हर्म सांख्यिकी, एस्टोनिया में जनसंख्या सांख्यिकी अनुभाग की पूर्व प्रमुख हैं। वह यूरोस्टेट, लक्ज़मबर्ग में राष्ट्रीय विशेषज्ञ थीं तथा वर्तमान में तेलिन विश्वविद्यालय, एस्टोनिया में शोधकर्ता हैं। स्वतंत्र विशेषज्ञ गिआम्बतिस्ता कैंटिसानी, जनसंख्या एवं प्रवासन सांख्यिकी में विशेषज्ञ है, जिन्हें दुनिया भर में प्रचलित डेटा संग्रह की विधियों का व्यापक ज्ञान है।

सबसे पहले लेखक आईओएम इंडिया, विशेष रूप से संजय अवस्थी (कार्यालय प्रमुख), श्रेयशी भट्टाचार्य, सोनम ढेधेन डेन्जोंगपा और सुरक्षा चंद्रशेखर को परियोजना पर उनके इनपुट और पूरी परियोजना के दौरान सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। यह परियोजना आईओएम इंडिया के पूर्ववर्ती भारत प्रवासन केंद्र, भारतीय वैश्विक परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के प्रवासन, गतिशीलता और प्रवासी अध्ययन केंद्र (सीएमएमडीएस) और वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र की एक संयुक्त पहल है। लेखक किए गए सभी योगदानों एवं साझा किए गए ज्ञान की सराहना करते हैं, जिसके बिना इस परियोजना में उतने विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।

# संकेताक्षर की सूची

| | |
|---|---|
| आशा | मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता |
| बीओआई | आप्रवासन ब्यूरो |
| सीएसओ | केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय |
| सीपीवी | कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीज़ा प्रभाग |
| ईसीआर | माइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड |
| जीसीएम | वैश्विक प्रवासन समझौता |
| आईसीडब्ल्यूए | भारतीय वैश्विक परिषद |
| आईएलओ | अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन |
| एमईए | विदेश मंत्रालय |
| एमएचए | गृह मंत्रालय |
| ओसीआई | भारत के प्रवासी नागरिक |
| एसडीजी | सतत विकास लक्ष्य |
| यूएनईसीई | यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग |

# कार्यकारी सारांश

*प्रवासियों के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है, जिनकी संख्या 2020 में 32 मिलियन है। भारतीय प्रवासी मुख्यतः संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और सऊदी अरब में हैं। हाल ही में, प्रवासन तेजी से यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों की ओर बढ़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उच्च शिक्षा हेतु आवेदन करने वाले लाखों छात्रों के साथ, शिक्षा को इस शहरी केंद्रों में बेहतर सैलरी के रोजगार का रास्ता माना जा रहा है। प्रवासन के फ्लों की प्रकृति, पैटर्न, संख्या एवं संरचना में एक बड़ा बदलाव आया है।*

प्रवासियों के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है, जिनकी संख्या 2020 में 32 मिलियन है।[1] भारतीय प्रवासी मुख्यतः संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और सऊदी अरब में हैं। हाल ही में, प्रवासन तेजी से यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों की ओर बढ़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उच्च शिक्षा हेतु आवेदन करने वाले लाखों छात्रों के साथ, शिक्षा को इस शहरी केंद्रों में बेहतर सैलरी के रोजगार का रास्ता माना जा रहा है।[2] प्रवासन के फ्लों की प्रकृति, पैटर्न, संख्या एवं संरचना में एक बड़ा बदलाव आया है।

देश के प्रवासन पैटर्न में इस बदलाव की वजह से अधिक डेटा-केंद्रित प्रवासन व्यवस्था की आवश्यकता भी है। अवसरों की सही मैपिंग एवं श्रम की कमी वाले देशों के विश्लेषण के साथ भारतीय कार्यबल की संरचना की गहरी समझ की आवश्यकता है। इससे भारत को बाकी दुनिया को उच्च गुणवत्ता वाले कुशल कार्यबल बनाने का अवसर मिलेगा और सुरक्षित एवं अच्छी तरह से प्रबंधित श्रम प्रवासन की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवाद में आसानी मिलेगी। इस प्रकार भारत में एक समेकित माइग्रेशन डेटाबेस की आवश्यकता एवं वैश्विक प्रवासी कॉरिडोर के लगातार विकसित हो रहे नए अवसर का लाभ उठाने के लिए, आईओएम इंडिया के नेतृत्व में "भारत में डेटा-सूचित एवं प्रवासी-केंद्रित माइग्रेशन प्रबंधन ढांचे का सुदृढीकरण" नामक इस परियोजना की परिकल्पना विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और ग्लोबल माइग्रेशन डेटा एनालिसिस सेंटर (जीएमडीएसी)[3] की साझेदारी में की गई थी।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रवासन डेटा में सुधार करना और भारत सरकार को एक व्यापक एवं लिंग-संवेदनशील प्रवासन डेटा प्रबंधन रणनीति बनाकर देना है। ऐसी प्रवासन डेटा प्रबंधन रणनीति एक बेहतर डेटा संग्रह, प्रसंस्करण एवं प्रसार ढांचे के ज़रिए प्रवासन पर एक व्यापक साक्ष्य आधार विकसित करने में महत्वपूर्ण होगी। यह रणनीति

रिपोर्ट डेटा नीड्स असेसमेंट के तहत उल्लिखित निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर आधारित है, जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर सांख्यिकीय डेटा की उपलब्धता और इस्तेमाल का विस्तृत अवलोकन प्रदान करती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क) मौजूदा डेटा संग्रह प्लेटफार्मों को सुसंगत बनाकर; ख) रोजगार के अवसरों और कौशल आवश्यकताओं को साझा करने हेतु उद्योग से जुड़े हितधारकों को संगठित करके; और ग) डेटा संग्रह प्लेटफार्मों में प्रवासी सहायता सेवाओं को सुव्यवस्थित करके बहु-हितधारक जुड़ाव को मजबूत करना है।

रिपोर्ट डेटा संग्रह हेतु मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण की सिफारिश करती है, जहां प्रवासी श्रमिकों की भागीदारी को आसान बनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुरूप डेटा पृथक्करण पर जोर दिया जाता है, जो उम्र, लिंग, प्रवासी स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, निवास स्थान एं राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक अन्य कारकों के खिलाफ भेदभाव को रोकता है। डेटा गोपनीयता एवं सुरक्षा पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रवासन डेटा प्रबंधन रणनीति में लिंग को मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों की चुनौतियों के लिए लिंग-उत्तरदायी समाधान तैयार करने में मदद करने के लिए ट्रेंड को समझने तथा उनका विश्लेषण करने की सिफारिशें की गई हैं।

---

1 Ministry of External Affairs, Government of India, Population of Overseas Indians, Available at; Population of Overseas Indians.
2 European Union (2021), India-EU Migration and Mobility Flows & Patterns| EU-India Cooperation & Dialogue on Migration & Mobility, Avail-able at: ICM PD (2021). India-EU Migration and Mobility Flows and Patterns, India EU Common Agenda on Migration and Mobility.

3 The Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) was set up as part of IOM's wider response to calls for better international migration data and analysis in 2015.

# राष्ट्रीय प्रवासन डेटा प्रबंधन रणनीति

*आवागमन के नए रास्ते और प्रवासन पैटर्न की बदलती प्रकृति से दुनिया भर में बुनियादी सवाल और विचार उठ रहे हैं, जिसके अंतर-पीढ़ीगत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ हैं। इन बदलावों के कारण दिसंबर 2018 में सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमित प्रवासन (जीसीएम) के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट को अपनाया गया। स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रवासन प्रशासन को सूचित करने के लिए, जीसीएम के 23 उद्देश्यों में से पहला "साक्ष्य-आधारित नीतियों के आधार पर सटीक और अलग-अलग डेटा एकत्र करना और उपयोग करना" है।*

## अवलोकन

आवागमन के नए रास्ते और प्रवासन पैटर्न की बदलती प्रकृति से दुनिया भर में बुनियादी सवाल और विचार उठ रहे हैं, जिसके अंतर-पीढ़ीगत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ हैं। इन बदलावों के कारण दिसंबर 2018 में सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमित प्रवासन (जीसीएम) के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट को अपनाया गया। स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रवासन प्रशासन को सूचित करने के लिए, जीसीएम के 23 उद्देश्यों में से पहला "साक्ष्य-आधारित नीतियों के आधार पर सटीक और अलग-अलग डेटा एकत्र करना और उपयोग करना" है। प्रवासन पैटर्न के उभरते भूभाग पर विभिन्न मापदंडों पर सटीक, विश्वसनीय एवं तुलनीय डेटा रखने की इस प्रधानता को सतत विकास के संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 के लक्ष्य 10.7[4] में रेखांकित किया गया है।

मूल, पारगमन एवं गंतव्य के महत्वपूर्ण देश के रूप में भारत के उभरने को देखते हुए, ये मार्गदर्शक वैश्विक प्रवासन ढाँचे जीसीएम के अनुसमर्थन के साथ-साथ 2030 सतत विकास एजेंडा और शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए 2016 न्यूयॉर्क घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से परिलक्षित होते हैं। भारत ने भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा और विकास हेतु कई प्रमुख संयुक्त राष्ट्र और आईएलओ सम्मेलनों पर हस्ताक्षर और अनुमोदन करके अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।[5] [6] [7]

प्रवासियों के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है, जिनकी संख्या 2020 में 32 मिलियन है। भारतीय प्रवासी मुख्यतः संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और सऊदी अरब में हैं। हाल ही में, प्रवासन तेजी से यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों की ओर बढ़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उच्च शिक्षा हेतु आवेदन करने वाले लाखों छात्रों के साथ, शिक्षा को इस शहरी केंद्रों में बेहतर सैलरी के रोजगार का रास्ता माना जा रहा है। प्रवासन के फ्लों की प्रकृति, पैटर्न, संख्या एवं संरचना में एक बड़ा बदलाव आया है। इसका एक उदाहरण खाड़ी क्षेत्र में भारतीय

प्रवासियों के कौशल सेट एवं व्यावसायिक प्रोफ़ाइल में ब्लू-कॉलर से व्हाइट-कॉलर प्रवासी कार्यबल में क्रमिक बदलाव है।

4 10.7 facilitates orderly, safe, and responsible migration and mobility of people, including through implementation of planned and well-managed migration policies.

5 Ministry of Labour & Employment, Government of India, India & ILO, Available at https://labour.gov.in/lcandilasdivision/india-ilo

6 United Nations, Human Rights Treaty Bodies, UN Treaty Body Database: India, Available at: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/Treaty-BodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=79&Lang=EN.

7 Ministry of External Affairs, Government of India, List of United Nations Conventions Protocosl & Agreements India has not Signed, or Signed but not Ratified, Available at: List of United Nations Conventions Protocols & Agreements India has not Signed, or Signed but not Ratified.

8 Minstry of External Affairs, Government of India, Population of Overseas Indians, Available at; Population of Overseas Indians.

9 European Union (2021), India-EU Migration and Mobility Flows & Patterns| EU-India Cooperation & Dialogue on Migration & Mobility, Avail-able at: ICM PD (2021). India-EU Migration and Mobility Flows and Patterns, India EU Common Agenda on Migration and Mobility.

खाड़ी की ओर बढ़ते प्रवासन की एक अन्य प्रमुख विशेषता महिला प्रवासियों की बढ़ती भागीदारी को माना जा सकता है।[10] उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख प्रवासन क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं।

देश के प्रवासन पैटर्न में इस बदलाव की वजह से अधिक डेटा-केंद्रित प्रवासन व्यवस्था की आवश्यकता भी है। अवसरों की सही मैपिंग एवं श्रम की कमी वाले देशों के विश्लेषण के साथ भारतीय कार्यबल की संरचना की गहरी समझ की आवश्यकता है। इससे भारत को बाकी दुनिया को उच्च गुणवत्ता वाले कुशल कार्यबल बनाने का अवसर मिलेगा और सुरक्षित एवं अच्छी तरह से प्रबंधित श्रम प्रवासन की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवाद में आसानी मिलेगी।

इस प्रकार भारत में एक समेकित माइग्रेशन डेटाबेस की आवश्यकता एवं वैश्विक प्रवासी कॉरिडोर के लगातार विकसित हो रहे नए अवसर का लाभ उठाने के लिए, आईओएम इंडिया के नेतृत्व में "भारत में डेटा-सूचित एवं प्रवासी-केंद्रित माइग्रेशन प्रबंधन ढांचे का सुदृढीकरण" नामक इस परियोजना की परिकल्पना विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए)[11] और ग्लोबल माइग्रेशन डेटा एनालिसिस सेंटर (जीएमडीएसी) की साझेदारी में की गई थी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य में शामिल हैः
क) देश के प्रवासन डेटा में सुधार करना और भारत सरकार को एक व्यापक एवं लिंग-संवेदनशील प्रवासन डेटा प्रबंधन रणनीति बनाकर देना; ख) भारतीय प्रवासियों के लिए श्रम प्रवास के अवसरों तक पहुंच में सुधार करना। ऐसी प्रवासन डेटा प्रबंधन रणनीति एक बेहतर डेटा संग्रह, प्रसंस्करण एवं प्रसार ढांचे के ज़रिए प्रवासन पर एक व्यापक साक्ष्य आधार विकसित करने में महत्वपूर्ण होगी

## भारतीय संदर्भ

साक्ष्य-आधारित प्रवासन नीतियों एवं रणनीतियों से खामियों को कम करने, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने, कांसुलर सुरक्षा को मजबूत करने एवं सीमा प्रबंधन का समन्वय करने जैसी प्रतिक्रिया में सुविधा मिलती हैं। व्यापक एवं सटीक प्रवासन डेटा और आँकड़ों से सरकारी पहलों की निगरानी और मूल्यांकन में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार की प्रवासी कौशल विकास योजना का उद्देश्य विदेशी रोजगार की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संभावित प्रवासी श्रमिकों के कौशल सेट को बढ़ाना है।

वापस की ओर होते प्रवास पर डेटा में सुधार से भारत सरकार और राज्य सरकारें कौशल सेट का लाभ उठाने या विदेशी लौटने वाले नागरिकों के लिए स्थायी व्यवसाय मॉडल तैयार करने हेतु पुनर्एकीकरण योजनाएं तैयार करने में बेहतर सक्षम होंगी। ऐसा डेटा जुलाई 2021 में विदेश मंत्रालय द्वारा पेश किए गए वर्तमान ड्राफ्ट उत्प्रवासन विधेयक 2022 के साथ अच्छी तरह से मेल खाएगा, जिसका उद्देश्य लौटने वाले प्रवासियों के पुनर्एकीकरण सहित पूरे प्रवासन चक्र को संबोधित करना है।

एक दिलचस्प मामला भारत के केरल राज्य का है। केरल प्रवासन सर्वेक्षण (केएमएस) (विकास अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित) बड़े पैमाने पर घरेलू सर्वेक्षणों के अपने आठ दौरों के माध्यम से विश्वसनीय प्रवासन डेटा उत्पन्न करने पर केंद्रित है। विभिन्न अलग-अलग समूहों में परिवार और समाज में प्रेषण एवं उनके उपयोग की प्रकृति और प्रवास-प्रेरित परिवर्तनों पर डेटा को कवर करने के लिए सर्वेक्षण का विस्तार किया गया है। इस डेटा ने केरल को महामारी और इसके विनाशकारी परिणामों के मद्देनजर विदेशों से लौटने वाले बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को संभालने के लिए तैयार किया था।[12]

10 Rupa, Chanda & Pralok, Gupta (2018), Indian Migration to the Gulf: Overview of Trends & Policy Initiatives by India, Gulf Research Centre (Cambridge, UK), Available at: https://repository.iimb.ac.in/handle/2074/12591.

11 The Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) was set up as part of IOM's wider response to calls for better international migration data and analysis in 2015.

12 S. Irudaya Rajan (2020), Migrants at a crossroads COVID-19 and challenges to migration, Migration and Development, Migration & Develop-ment, Vol. 9, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21632324.2020.1826201?journalCode=rmad20

विदेश में रहने वाले 2.1 मिलियन प्रवासी केरलवासियों के डेटा से राज्य सरकार को अप्रैल 2020 में वापस आने वाले प्रवासियों के लिए 2.5 लाख हॉस्पिटल बेड और क्वारंटाइन सुविधाएं तैयार करने में मदद मिली।[13] इस तरह के प्रवासन के विश्वसनीय डेटाबेस वाले प्रवासन सर्वेक्षण के केरल मॉडल को आज भारतीय राज्यों गोवा, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में दोहराया है। कोविड-19 महामारी ने प्रवासन नीतियों को प्रवासी और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बनाने हेतु उनका फिर से आकलन और सुधार करने का अवसर भी दिया है। अनिवासी केरल मामलों का विभाग (एनओआरकेए) और इसकी क्षेत्रीय एजेंसी एनओआरकेए-रूट्स वर्तमान में स्टडी के केएमएस दौर के दौरान एकत्र किए गए डेटा का इस्तेमाल करके कई अन्य पुनर्एकीकरण पहल लागू कर रहे हैं।

## भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर डेटा संग्रह का मौजूदा ढांचा

भारत में, तीन केंद्रीय मंत्रालय प्रवासन के पूरे सर्कल के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्रालय (अपने ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से, ऐसी प्रणाली जो डेटा संग्रह, बीमा प्रणालियों के एकीकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्प्रवास मंजूरी के प्रावधान के माध्यम से वर्तमान उत्प्रवास प्रक्रिया को स्वचालित बनाती है), गृह मंत्रालय (आव्रजन ब्यूरो और रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय)। कानून के संदर्भ में , भारत सरकार ने उत्प्रवासन अधिनियम 1983 लागू किया है और हाल ही में उत्प्रवासन विधेयक 2021 का मसौदा तैयार किया है जिसे अभी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। उत्प्रवासन विधेयक 2021 में उत्प्रवासन अधिनियम 1983 के मध्यस्थों को पहचानने और विनियमित करने, उत्प्रवास निकासी प्रणाली को हटाने एवं वापस लौटे प्रवासियों के पुनर्एकीकरण को संबोधित करने के उपायों को अपनाकर हाल के विकास को शामिल है। इसके अलावा, प्रवासन एक महत्वपूर्ण लिंग आयाम वाली प्रक्रिया है। इसलिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप के लिए लिंग प्रवासन से कैसे निपटा जाए। लिंग-विशिष्ट प्रवासन प्रवृत्तियों पर विचार करने से इस बात को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी कि लिंग सामाजिक सेवाओं, आर्थिक विकास, रोजगार, क्षमताओं, जोखिमों एवं कमजोरियों तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है। नतीजतन, ई-माइग्रेट पोर्टल आंकड़ों के माध्यम से प्रसारित डेटा महिलाओं के प्रवासन ट्रेंड की सटीक तस्वीर नहीं दर्शाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित उपलब्ध डेटा सेट एवं रिपोर्टों की स्क्रीनिंग से पता चलता है कि भारत में प्रवासन प्रक्रियाओं पर केवल कुछ अध्ययन और अवलोकन सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित हैं। सीधे तौर पर, भारतीय अनुसंधान समुदाय एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बनाने से संबंधित सरकारी निकाय सीमित उपलब्ध डेटासेट का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2007/2008 (जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवास पर एक विशेष खंड शामिल है) और 2001 और 2011 में आयोजित दो हालिया जनगणना (जिसमें कुछ प्रवास-संबंधी प्रश्न शामिल थे) का उपयोग राज्य-वार कवरेज की गणना के लिए किया जाता है।[14] इसलिए इससे भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आँकड़े तैयार करने में विभागों और मंत्रालयों के बीच व्यवस्थित सहयोग को संस्थागत बनाने की आवश्यकता हो गई है। इस प्रकार संलग्न रणनीतिक सिफारिशें भारत में प्रवासन डेटा संग्रह के तरीकों का गहन मूल्यांकन और विश्लेषण हैं, और कई यूरोपीय, एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित

डेटा प्रबंधन और आंकड़ों को तैयार करने के उदाहरण हैं।

13 Onmanorama Staff, COVID-19 lockdown: Over 3 lakh Keralites register on Norka-Roots to return home, Onmanorama (29 April, 2020), Available at https://www.onmanorama.com/news/kerala/2020/04/29/covid-lockdown-keralites-norka-roots-return.html.

14 Irudaya Rajan, P. Sivakumar & Aditya Srinivasan (2020), The COVID-19 Pandemic and Internal Labour Migration in India: A 'Crisis of Mobili-ty', The Indian Journal of Labour Economics, 63 (1021-1039), Available at https://link.springer.com/article/10.1007/s41027-020-00293-8

# कार्यप्रणाली

*इस अनुसंधान पद्धति को आईसीडब्ल्यूए, ग्लोबल माइग्रेशन डेटा एनालिसिस सेंटर (जीएमडीएसी), कई प्रवासन विशेषज्ञों और चिकित्सकों के परामर्श से तैयार किया गया था। इसकी प्रारंभिक समीक्षा के बाद, अच्छे तरीकों, अंतरालों और जरूरतों का पता लगाने हेतु तीन दिनों के लिए तीन गहन गुणात्मक परामर्श आयोजित किए गए, जिसके आधार पर अच्छे प्रवासन प्रशासन, प्रभावी प्रबंधन और तैयारियों और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सिफारिशें की गईं।*

इस अनुसंधान पद्धति को आईसीडब्ल्यूए, ग्लोबल माइग्रेशन डेटा एनालिसिस सेंटर (जीएमडीएसी), कई प्रवासन विशेषज्ञों और चिकित्सकों के परामर्श से तैयार किया गया था। इसकी प्रारंभिक समीक्षा के बाद, अच्छे तरीकों, अंतरालों और जरूरतों का पता लगाने हेतु तीन दिनों के लिए तीन गहन गुणात्मक परामर्श आयोजित किए गए, जिसके आधार पर अच्छे प्रवासन प्रशासन, प्रभावी प्रबंधन और तैयारियों और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सिफारिशें की गईं।

पहले दो दिवसीय प्रवासन डेटा परामर्श आईसीडब्ल्यूए एवं जीएमडीएसी के समन्वय में विदेश मंत्रालय विभागों और उप-प्रभागों के साथ आयोजित किए गए थे। विदेश मंत्रालय के हितधारकों में आईसीडब्ल्यूए, ई-माइग्रेट, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके), भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ), प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स (पीओई), MADAD, पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी), क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ), पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) और कांसुलर शिकायत प्रबंधन प्रणाली (एमएडीएडी) के प्रतिनिधि शामिल थे।

दूसरा प्रवासन डेटा परामर्श आईओएम, आईसीडब्ल्यूए और जीएमडीएसी के समन्वय में शिक्षाविदों एवं जनसांख्यिकीविदों के साथ आयोजित किया गया था। तीसरा भारत में स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए), संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग (यूएनडीईएसए) और एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) शामिल थे। राष्ट्रीय कौशल एवं विकास सहयोग, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ आगे परामर्श आयोजित किए गए। लिंग-समावेशी अनुशंसाओं को सूचित करने हेतु लिंग और प्रवासन के क्षेत्र में तीन विषय विशेषज्ञों के साथ अतिरिक्त परामर्श किया गया। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के साथ परामर्श के दौरान, यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रवासन डेटा-संबंधित उपाय मुख्यतः कुछ विशिष्ट प्रवासन-संबंधी पहलुओं पर केंद्रित थे, अर्थात् कुछ देशों में कम कुशल श्रमिकों का प्रवास (जैसे कि

इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ईसीआर)[15] देश), प्रवासी एवं प्रेषण।

15 ECR passports are issued to those Indian citizens who intend to travel on an employment visa to one of the 18 listed countries. Such a pass-port holder will be required to procure an emigration clearance from the Protector of Emigrants (PoE), unlike for Non-ECR (ECNR) passport holders. ECR status will be printed in the passport of the applicants who fall in the ECR category. For those falling in the Non-ECR category, there will be no specific mention in the passport. For additional information, please refer here.

# सिफारिशें

*उदाहरण के लिए, 18 इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ईसीआर) देशों के अलावा अन्य देशों की ओर पलायन करने वाले उच्च कुशल श्रमिकों और नॉन-ईसीआर देशों में कम कुशल श्रमिकों पर डेटा का संग्रह, अभी भी भारत में प्रवासन डेटा पहल के दायरे से बाहर है। वापस लौटने वाले प्रवासियों और अनियमित प्रवासन पर डेटा भी उत्प्रवास डेटा संग्रह और प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण है, इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय प्रवासन पर व्यापक साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण की जानकारी मिलती है।*

उदाहरण के लिए, 18 इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ईसीआर) देशों के अलावा अन्य देशों की ओर पलायन करने वाले उच्च कुशल श्रमिकों और नॉन-ईसीआर देशों में कम कुशल श्रमिकों पर डेटा का संग्रह, अभी भी भारत में प्रवासन डेटा पहल के दायरे से बाहर है। वापस लौटने वाले प्रवासियों और अनियमित प्रवासन पर डेटा भी उत्प्रवास डेटा संग्रह और प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण है, इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय प्रवासन पर व्यापक साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण की जानकारी मिलती है।

## 1. विदेश मंत्रालय (एमईए)

भारत में प्रवासन डेटा प्रबंधन की जरूरतों के आकलन के आधार पर और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन डेटा के संग्रह, प्रबंधन एवं प्रसार की सुविधा के इरादे से, निम्नलिखित तत्काल, मध्यम एवं दीर्घकालिक रणनीतिक सिफारिशें प्रस्तावित हैं।

### 1.1. तत्काल: ई-माइग्रेट

विदेशों में रोजगार को विनियमित करने के लिए, विशेष रूप से ब्लू-कॉलर कर्मियों की सुरक्षा के लिए, ईसीआर प्रक्रिया को "ई-माइग्रेट" नामक एक विशेष कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से विनियमित किया जाता है। यह प्रणाली विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के आप्रवासन ब्यूरो के साथ-साथ भारतीय मिशनों, विदेशी नियोक्ताओं एवं पंजीकृत भर्ती एजेंसियों के साथ एकीकृत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवासियों से जुड़े सभी हितधारक एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर समन्वय कर सकें। जब भी कोई प्रवासी विदेश जाने हेतु एक्जिट पोर्ट या चेकपोस्ट पर आता है, तो उसके पासपोर्ट की जानकारी को आव्रजन अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन चेक किया जाता है, और केवल उन लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाती है जिन्होंने उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त कर ली है। इससे भारतीय श्रमिकों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।

ई-माइग्रेट का उद्देश्य भारतीय प्रवासियों, ईसीआर एवं नॉन-ईसीआर पासपोर्ट धारकों का कवरेज सुनिश्चित करना है। हालांकि, नॉन-ईसीआर श्रेणी हेतु पंजीकरण स्वैच्छिक है, ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारकों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसलिए, पोर्टल में कुशल प्रवासियों की कीमती जानकारी का बढ़ता डेटाबेस संभालने की पूरी क्षमता है। इस टिप्पणी में ई-माइग्रेट के लिए निम्नलिखित शिफारिशें की गई हैं:

**क. मजबूत संचार:** प्रक्रिया को पंजीकृत करने एवं प्रोत्साहित करने के फायदों पर निर्देश ई-माइग्रेट पर स्वैच्छिक एवं अनिवार्य पंजीकरण को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मजबूत नियमित संचार से भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी गलत सूचना तथा इसमें लगने वाले खर्च कम हो सकता है।

पंजीकरण को मौजूदा राष्ट्रीय पहल जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना (राष्ट्रीय पहल बॉक्स 1 देखें) से जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार प्रवासियों को उनके लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में सूचित किया जा सकता है और स्वैच्छिक पंजीकरण के समग्र लाभों में योगदान दिया जा सकता है। वीज़ा या पासपोर्ट जारी करने पर ई-माइग्रेट फॉर्म भरने के उपाय शुरू करने से सोर्स प्वाइंट पर डेटा संग्रह पहल का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। विभिन्न कौशल सेटों के लिए तैयार की गई आवश्यकताओं और लिंग-विशिष्ट प्रोत्साहनों की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है।

**ख. प्रवास की अवधि पर ध्यान:** किसी विशेष प्रवासन चक्र (गंतव्य के विभिन्न देशों में निवास), बार-बार ठहरने (गंतव्य के एक ही देश में लौटना), और भारत के भीतर संबंधित अंतराल के दौरान कई प्रवासों को पंजीकृत करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए, देश और विदेश में रहने की अवधि पर एक निर्धारित मानदंड को रेखांकित करने से प्रवासियों और लौटने वाले प्रवासियों को वर्गीकृत करने में स्पष्टता मिल सकती है।

**ग. पोर्टल का दायरा बढ़ाना:** ई-माइग्रेट पोर्टल की क्षमता काफी अधिक है। इसलिए, प्रवासन आंकड़ों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, लगातार विकसित हो रही प्रवासन वास्तविकताओं को देखते हुए, इस पोर्टल की व्यावहारिकता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। डेटा की उपलब्धता एवं प्रकाशित आँकड़ों के दायरे में सुधार हेतु निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जा सकता है:

1. प्रवासन की मैपिंग हेतु डेटा का उपयोग करने और प्रवासन के लाभों को बढ़ाने की दिशा में प्रवासन डेटा संग्रह पर ध्यान केंद्रित करना। मैपिंग प्रशासनिक डेटा संग्रह प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि जीसीएम के उद्देश्यों द्वारा अनुशंसित प्रभावी नीति समर्थन के लिए आवश्यक डेटा उपलब्ध हो।
2. सांख्यिकीय डेटाबेस एवं यूजर डैशबोर्ड नीति बनाने हेतु एकत्रित डेटा के अच्छे उपयोग का समर्थन करते हैं। सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रसार से ई-माइग्रेट पर विज़ुअलाइज़ेशन से लाभ हो सकता है, जिससे उनकी व्याख्या एवं सही उपयोग में आसानी होगी। तैयार किए गए आँकड़े सरल, स्पष्ट और प्रासंगिक मेटाडेटा के साथ होने चाहिए।

### राष्ट्रीय पहल 1: प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई)

पीबीबीवाई एक अनिवार्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य ईसीआर देशों में विदेश में रोजगार हेतु जाने वाले इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ईसीआर) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। यह योजना 2003 में शुरू की गई थी, जो प्रवासी श्रमिकों के कवरेज को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य से संचालित है। यह रुपये का बीमा कवर प्रदान करता है। यह आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के मामले में क्रमशः दो और तीन साल की अवधि तक 275 रुपये और 375 रुपये के बीमा प्रीमियम पर 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करता है।

संशोधित योजना को दोनों पासपोर्ट श्रेणियों के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 2 (ओ) के तहत कार्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न व्यवसायों के लिए भी अनिवार्य बना दिया गया है। पीबीबीवाई में नियोक्ता एवं स्थान चाहे कुछ भी हो वैश्विक बीमा कवरेज भी शामिल है, ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा है और आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आसान है। यह योजना अब प्रवासी श्रमिकों के लिए अधिक फायदेमंद है और इसका उद्देश्य क्लेम का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। वर्तमान में, पीबीबीवाई नॉन-ईसीआर पासपोर्ट धारकों सहित सभी के लिए उपलब्ध है। नॉन-ईसीआर श्रेणी के प्रवासियों को पहले स्वेच्छा से ई-माइग्रेट पर पंजीकरण करना होगा और उसी पंजीकरण संख्या का उपयोग पीबीबीवाई हेतु आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।

*स्रोत: https://www.mea.gov.in/pbby.htm*

वास्तविक तस्वीर तथा संक्षिप्त सांख्यिकीय अवलोकन प्रस्तुत करने से डेटा की व्याख्या करने और नीतिगत निर्णयों की दक्षता के लिए हाल के ट्रेंड्स का आकलन करने में मदद मिलेगी। प्रवासन से संबंधित सभी चर (गंतव्य का देश, अनुबंध की अवधि, उद्योग) पर आंकड़े लिंग एवं आयु समूहों (एक-वर्षीय या पांच-वर्षीय समूह) के लिए स्पष्ट रूप से उपलब्ध होने चाहिए।

### वैश्विक कार्यप्रणाली 1: श्रीलंका में बीमा कवरेज और अन्य लाभ

श्रीलंका विदेशी रोजगार ब्यूरो (एसएलबीएफई) विदेशी रोजगार प्रशासन की प्रमुख एजेंसी, विदेशी रोजगार से संबंधित प्राथमिक एजेंसी है। हालाँकि एसएलबीएफई अनुबंध या प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रावधान नहीं करता है, लेकिन जिस कानून के तहत इसे बनाया गया था वह प्रवासी श्रमिकों की स्थिति की सुरक्षा एवं सुधार का व्यापक प्रावधान करता है।

हालाँकि, प्रवासियों द्वारा आवश्यक पंजीकरण शुल्क (न्यूनतम एसएल 5,200 रुपये) का भुगतान न करने के बावजूद, वे धीरे-धीरे पंजीकरण के साथ मिलने वाले लाभों, जैसे बीमा कवर, को समझ रहे हैं। राष्ट्रीय बीमा निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित यह बीमा कवर, जथिका सुरक्षा प्रवासी रोजगार बीमा, मृत्यु, स्थायी एवं पूर्ण विकलांगता, गंभीर बीमारी के परिणामस्वरूप आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता प्रदान करता है और परिवहन खर्चों की परिपूर्ति करता है। इसके अलावा, एसएलबीएफई के साथ पंजीकरण करने वाले 10,000 प्रवासी श्रमिकों के प्रत्येक बैच हेतु आयोजित लॉटरी में बचत प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं, और प्रमाणपत्रों का मूल्य 5,000 – 50,000 रुपये के बीच होता है।

*डायस, एम., और जयसुंदरे, आर. (2002) श्रीलंका: महिला प्रवासी श्रमिकों को शोषणकारी श्रम में जाने से रोकने के लिए अच्छी प्रथाएँ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय: लिंग संवर्धन कार्यक्रम।*

### वैश्विक कार्यप्रणाली 2: भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) प्रवासन हेतु डबल मैट्रिक्स दृष्टिकोण

1970 के दशक से, ईएनईसीई डेटा आपूर्तिकर्ताओं के कार्यों में मदद करने के इरादे से, अपने सदस्य राज्यों के लिए माइग्रेशन मैट्रिक्स तैयार कर रहा है, विशेष रूप से यूरोपीय संघ के सदस्य देशों एवं यूरोस्टेट में यूरोपीय संघ में प्रवासन और शरण पर विश्वसनीय, सामंजस्यपूर्ण और तुलनीय डेटा तैयार करने के लिए। इससे सदस्य देशों के बीच आँकड़ों में समानताओं एवं अंतरों की तुलना करने हेतु यूरोपीय संघ में प्रवासन फ्लो पर बेहतर समझ मिलती है।

उदाहरण के लिए, विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि 2019 में यूरोपीय संघ में 14.5 लाख प्रवासी भारतीय (एनआरआई एवं पीआईओ) थे, जिनमें से 32.64% फ्रांस (इसके विदेशी क्षेत्रों सहित) में रहते थे, इसके बाद नीदरलैंड (16.54%), इटली (14%), जर्मनी (12.76%) और पुर्तगाल (5.61%) में थे। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, लातविया, लिथुआनिया, हंगरी, एस्टोनिया, रोमानिया, लक्ज़मबर्ग, चेक गणराज्य और माल्टा जैसे सदस्य देशों में 2019 में बहुत कम विदेशी भारतीय थे। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से यह भी अनुमान है कि यूरोपीय संघ में कुल 5.4 लाख एनआरआई हैं। हालाँकि, 2019 में, उसी वर्ष यूएनडीईएसए द्वारा अनुमानित ईयू में भारतीय अप्रवासियों की कुल संख्या 5.3 लाख थी। 2019 में, इटली (29.08%) में एनआरआई की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, उसके बाद जर्मनी (26.3%), स्पेन (9.05%) और नीदरलैंड (7.38%) का स्थान था।

इसलिए, सदस्य राज्यों के बीच आँकड़ों की तुलना करने से उपयोग की जाने वाली विभिन्न डेटा संग्रह के तरीकों को ध्यान में रखते हुए, सांख्यिकीय अंतरों के कारण होने वाली और परिणामी समस्याओं की पहचान की जा सकेगी। इससे विश्वसनीय डेटासेट तैयार करने में मदद मिलेगी, जो बाहरी प्रवासन से संबंधित जरूरतों और संवेदनशीलताओं के प्रति लक्षित नीतियों में योगदान करने में मदद करेगा।

*पौलेन, एम., पेरिन, एन. और सिंगलटन, ए. (संस्करण) (2006)। थेइज़्म अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर सामंजस्यपूर्ण यूरोपीय सांख्यिकी की ओर। प्रेस यूनिवर्सिटेयर्स डी लौवेन*

3. कुछ लिंग-विशिष्ट डोमेन को कवर करने हेतु लिंग स्पेक्ट्रम में भिन्न हो सकने वाले सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने और प्रसारित करने के उद्देश्य के साथ प्रवास के लिंग आयाम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए (खंड 1.3 देखें)

4. चूंकि ई-माइग्रेट पोर्टल अब नॉन-ईसीआर देशों के प्रवासियों के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण हेतु खुला हुआ है, इससे अब सभी श्रेणियों के प्रवासियों (जैसे महिलाओं एवं छात्रों), इसकी खामियों और प्रवासन प्रक्रियाओं की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने की सुविधा मिलेगी। डेटा संग्रह के दायरे में लौटने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों तक को शामिल किया जा सकता है। एक तदर्थ सर्वेक्षण (गुणात्मक), संभवतः सीमाओं पर, लिंग-संवेदनशील विषयों सहित ई-माइग्रेट प्रणाली के भीतर निरंतर डेटा संग्रह में अतिरिक्त चर की आवश्यकता की पहचान करने में मदद करेगा।

5. चूंकि ई-माइग्रेट डेटा संग्रह प्रवासियों पर केंद्रित है, इसलिए उनके वापस की जानकारी का संग्रह सीमा पार डेटा के रिकॉर्ड को ई-माइग्रेट डेटा के साथ जोड़कर किया जा सकता है। इसलिए, इन दो डेटासेट के बीच डेटा विनिमय एवं सामंजस्य के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) के साथ समन्वय आवश्यक है।

**घ. डेटा सेट की तुलना:** अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के फ्लो को दो बार एकत्र किया जाता है, प्रस्थान के देश द्वारा उत्प्रवास की संख्या और आगमन के देश द्वारा अप्रवासियों की संख्या के रूप में। यदि एक ही अवधि से संबंधित दो आंकड़े बहुत भिन्न हैं, तो ऐसा कम पंजीकरण या उपयोग किए गए मानदंडों में अंतर के कारण हो सकता है। फिर भी, आंकड़ों की तुलना करने से दुनिया भर में भारतीय नागरिकों के प्रवासन प्रवाह की वैधता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

भारतीय प्रवासियों के लिए, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए ओसीआई और एनआरआई के अनुमानों की तुलना गंतव्य के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर उनके आप्रवासन समकक्षों द्वारा एकत्र किए गए अनुमानों से की जानी चाहिए। जहां तक उत्प्रवास प्रवाह का सवाल है, प्राप्तकर्ता देशों द्वारा प्रदान किए गए सांख्यिकीय आंकड़ों की तुलना सीमा नियंत्रण, पासपोर्ट जारी करने और प्रवासियों को समर्थन से संबंधित अन्य मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग में ई-माइग्रेट द्वारा बनाए गए समान डेटा के साथ की जा सकती है।

**ङ. अकादमिक सांख्यिकीय विश्लेषण:** एकत्रित आंकड़ों से उभरने वाले ट्रेंड और पैटर्न को देश से बाहरी प्रवासन से संबंधित विशेषताओं और व्यवहारों का विश्लेषण करने के लिए अकादमिक उपयोग या विद्वानों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

**वैश्विक कार्यप्रणाली 3: जर्मनी में मान्यता पर सूचना पोर्टल**

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए संभावित यूज़र्स (व्यक्तियों और उनके नियोक्ताओं) से संपर्क करना प्रक्रियाओं, परिणामों एवं लाभों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाने और भागीदारी को बढ़ावा देने का एक तरीका है। जर्मनी में वेबसाइट रिकॉग्निशन प्रवासी श्रमिकों के लिए पेशेवर मान्यता पर जर्मन सरकार के सूचना पोर्टल का कार्य करती है। प्रक्रिया में उनकी समझ, विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, वेबसाइट में यूजर-फ्रेंडली बनाने के साथ-साथ सिस्टम तक पहुंचने पर मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- कुछ चुनिंदा व्यवसायों के लिए मान्यता की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
- यूजर फ्रेंडली "रिकॉग्निशन फाइंडर" फ़ंक्शन के माध्यम से सर्च किया जा सकता है।
- स्किल रिकॉग्निशन की सक्सेस स्टोरीज़
- हॉटलाइन और परामर्श संबंधी जानकारी
- प्रासंगिक प्राधिकारी, संस्थान तथा उनका संपर्क विवरण

*https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_748721.pdf*

## 1.2. भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव और बिग डेटा का इस्तेमाल

कम से कम छह से नौ महीने तक विदेश में रहने वाले और भारतीय नागरिकता रखने वाले भारतीय प्रवासियों को गैर-आवासीय भारतीय (एनआरआई) माना जाता है। दूसरी ओर, भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक वे हैं जो (1) संविधान के लागू होने के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत के नागरिक हैं; या (2) 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य; या, (3) उस क्षेत्र से संबंधित हैं जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया। चूंकि ओसीआई कार्ड धारक (भारतीय प्रवासी) प्रवासियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी अबतक अप्रयुक्त क्षमता को नजरअंदाज किया जाता रहा है।

प्रवासियों को मैप करने के लिए बिग डेटा[16] या वेब-आधारित एनालिटिक्स डायस्पोरा मैपिंग हेतु पारंपरिक अनुसंधान विधियों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। हालाँकि, यह मौजूदा अनुसंधान विधियों को बारीकियाँ प्रदान करने और पारंपरिक तरीकों में पाई गई कमियों और चुनौतियों को दूर करने के एक उपकरण का काम कर सकता है। विशेष रूप से, यह निम्नलिखित पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है:

- गंतव्य देशों के भीतर प्रवासी समुदाय कहाँ सबसे अधिक हैं (और किस सीमा तक)
- विभिन्न देशों में प्रवासी समुदायों का विकास
- प्रवासन पैटर्न में विशिष्ट "वेव" या रुझान
- प्रवासी भारतीयों की विभिन्न विशेषताएँ एवं रुचियाँ
- वे किस सीमा तक मूल देश के साथ जुड़े हुए हैं

बदलते माइग्रेशन पैटर्न और रुझान संभवतः वेब ट्रैफ़िक के बदलते पैटर्न में भी दिखाई देंगे। डेटा स्रोतों की व्यापक उपलब्धता (जैसे वेबसाइट एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया उपयोग डेटा, ओनोमैस्टिक एनालिटिक्स, स्थानिक या भौगोलिक डेटा) डिजिटल डेटा पैटर्न के ज़रिए विभिन्न स्तरों और प्रकार के विश्लेषण का समर्थन करेगी। बिग डेटा प्रवासी भारतीयों की व्यापक समझ को बढ़ावा दे सकता है ताकि प्रवासी भारतीयों की भागीदारी को मजबूत करने हेतु लक्षित संचार रणनीतियाँ तैयार की जा सकें।

प्रवासी भारतीयों द्वारा किए गए विदेशी पूंजी प्रवाह (निवेश, व्यापार एवं पर्यटन के माध्यम से) को बेहतर ढंग से समझने हेतु प्रवासी भारतीयों के संभावित योगदान पर डेटा भी महत्वपूर्ण है। इस

तरह के डेटा का उपयोग प्रवासी भारतीयों को विकास में सहभागी के रूप में शामिल करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और कार्यक्रम विकसित करने हेतु किया जा सकता है। परोपकार को विदेशों में प्रवासी फाउंडेशनों एवं दान का मैप बनाकर भी मापा जा सकता है।

**राष्ट्रीय पहल 2: प्रवासी भारतीयों की मान्यता की प्रणाली**

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (पीबीएसए) प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। पीबीएसए की शुरुआत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए 2003 से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलनों के एक भाग के रूप में की गई है।

यह सम्मेलन प्रवासी भारतीयों को ठोस तरीके से भारत का समर्थन करने, देश की समझ में सुधार करने, भारत, प्रवासी समुदायों तथा उनके निवास के देश के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने, परोपकारी एवं धर्मार्थ कार्यों को बढ़ावा देने और कौशल के सहज हस्तांतरण का एक मंच प्रदान करता है।

*https://www.mea.gov.in/pravasi-bharatiya-samman.htm#:~:text=The%20Pravasi%20Bharatiya%20Samman%20Award,honour%20conferred%20on%20overseas%20Indians.*

---

16 "Big data" is a collection of data from various sources in the public domain (e.g. social media) and refers to understanding patterns in the data that can be used for various purposes such as improving market intelligence, educational research and population mapping, without involving the individual.

**वैश्विक कार्यप्रणाली 5: प्रवासी सहभागिता के उदाहरण**

प्रवासी संगठन प्रवासी कौशल हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, एफएफओआरडी (अफ्रीकी विकास फाउंडेशन) यूरोप में रहने वाले अफ्रीकी प्रवासी सदस्यों के लिए स्वैच्छिक आधार पर एसएमई को कौशल बढ़ाने हेतु अस्थायी रूप से अफ्रीका लौटने के रास्ते बनाता है। इसी तरह, व्यापक सामुदायिक विकास की दिशा में प्रवासी प्रेषण एवं निवेश को प्रसारित करने में हस्तक्षेप अक्सर शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और पोषण, स्वच्छता और स्वच्छता, उपयोगिताओं, या उद्यम और अच्छे काम तक पहुंच जैसे मुद्दों से निपटने में सहायता करते हैं।

कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई प्रोजेक्ट ट्राइएंगल अपने सेवर एशिया प्रोग्राम के ज़रिए प्रवासियों को प्रेषण को बढ़ाने में सहायता करता है, जो यूजर्स को धन हस्तांतरण ऑपरेटरों द्वारा वसूले जाने वाले प्रेषण की लागत की तुलना करने की सुविधा देता है, प्रवासियों को बीमा और वित्तीय साक्षरता पर वित्तीय सेवाओं एवं पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले मेजबान देशों में स्थानीय सहायता एजेंसियों से जोड़ता है।

*न्यूज़न एट अल. प्रैक्टिशनर हैंडबुक*

## 1.3 लिंग-उत्तरदायी प्रवासन डेटा प्रबंधन

जैसा कि पहले कहा गया है, प्रवासन एक महत्वपूर्ण लिंग आयाम वाली प्रक्रिया है। इसलिए, यह समझना जरुरी है कि साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप को सुविधाजनक बनाने हेतु लिंग और प्रवासन का क्या संबंध है। प्रवासन की प्रवृत्ति एवं प्रवासन का संदर्भ अक्सर लिंग-विशिष्ट होता है, और इस बात को समझना आवश्यक है कि लिंग सामाजिक सेवाओं, आर्थिक विकास, रोजगार, क्षमताओं, जोखिमों एवं कमजोरियों तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है। सीधे तौर पर, मौजूदा प्रवासन डेटा संग्रह में लिंग संबंधी आयाम को शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि कई महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वर्तमान में एकत्र किए गए आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। तदनुसार, निम्नलिखित अनुशंसाओं का उद्देश्य महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर डेटा की उपलब्धता में सुधार करना है। इस तरह के डेटा को प्रवास-पूर्व और प्रवासन चरणों के दौरान एकत्र किया जाना चाहिए।

**वैश्विक कार्यप्रणाली 4: बिग डेटा का उपयोग**

दुनिया भर की सरकारों ने अपनी प्रवासी आबादी के साथ जुड़ने के लाभों, संभावनाओं एवं अवसरों को जाना है। पारंपरिक डायस्पोरा मैपिंग तकनीकों के अंतराल और खामियों को भरने हेतु "बिग डेटा" का उपयोग करने वाले नए उपकरण समझ के नए रास्ते खोलते हैं और नीतियां बनाने, संचार रणनीतियों और कार्यक्रम विकास में उपयोग किए जाने वाले कार्रवाई योग्य डेटा एवं जानकारी प्रदान करते हैं।

वेब एनालिटिक्स एवं ओनोमैस्टिक एनालिसिस जैसी बिग डेटा एनालिसिस तकनीकें क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका में यूक्रेनी प्रवासी एवं अर्मेनियाई आबादी को मैप करने हेतु पोलैंड में संचालित तकनीकें हैं। ओनोमैस्टिक एनालिसिस तब होता है जब "बिग डेटा" का उपयोग विभिन्न वर्गीकरणों (जैसे लिंग, भाषाई एवं सांस्कृतिक और जातीय मूल) के अनुसार व्यक्तिगत नामों को वर्गीकृत करने हेतु किया जाता है।

*न्यूज़न एट अल. प्रैक्टिशनर हैंडबुक*

### सामान्य सोच-विचार

क. पायलट आधार पर, अपने क्षेत्रीय दायरे में डेटा एकत्र करने हेतु प्रमुख राज्यों/क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर स्थानीय प्रशासन के साथ जुड़ने पर विचार किया जाना है। नियमित अंतराल पर प्रवासन के इरादे पर सर्वेक्षण के ज़रिए डेटा एकत्र करना, विशेष रूप से महिला प्रवासियों के लिए, इस वक्त काफी आवश्यक है। इसके लिए, अपने इलाकों की समझ रखने वाले रोजगार सूचना केंद्रों और/या सामाजिक कार्यकर्ताओं (जैसे आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता) के सहयोग से स्थानीय प्रशासन को ऐसे सर्वेक्षण करने में सहायता मिल सकती है।

ख. इस तरह की कार्यप्रणाली के दौरान और ई-माइग्रेट पोर्टल पर स्वेच्छा से सटीक जानकारी प्रदान करने के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी इससे लाभ हो सकता है। इससे प्रवासन की लगातार उभरती नई वास्तविकताओं को समझने में मदद मिलेगी और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ साक्ष्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेप की सुविधा मिलेगी।

ग. भारत की दशकीय जनगणना में महिलाओं से जुड़े सवालों एवं प्रवासन से संबंधित मॉड्यूल को शामिल करने से लिंग आधारित प्रवासन प्रवृत्तियों को समझने में मदद मिल सकती है। वर्तमान जनगणना में दो मूलभूत जनगणना से जुड़े प्रश्नों के ज़रिए प्रवासन डेटा का अनुमान लगाया जाता है जिसमें प्रतिवादी के जन्म स्थान और वर्तमान निवास स्थान को रिकॉर्ड किया जाता है। इसे महिलाओं सहित सभी अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अलग कार्यक्रम बनाकर पूरा किया जा सकता है। यह समझने हेतु ऐसी जानकारी मांगी जा सकती है कि महिला प्रवासी क्या काम करती हैं और वे किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं। प्रश्नावली स्व-रोज़गार महिलाओं या गृहिणियों की वास्तविकताओं को शामिल करने का विकल्प भी प्रदान कर सकती है।

घ. उत्प्रवासन विधेयक 2021 के मसौदे में खंड 2 के तहत, जिसका शीर्षक 'उत्प्रवास प्राधिकरण, धारा (1), (2), और (3)' है, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करने तथा ऐसा करने रोकने हेतु उत्प्रवास जांच चौकियों की स्थापना का प्रावधान है। महिला प्रवासियों पर विशिष्ट डेटा सहित लिंग-विभाजित डेटा एकत्र करने के अलावा ऐसे चेक पोस्टों का इस्तेमाल डेटा संग्रह केंद्रों के रूप में काम करने के लिए भी किया जा सकता है।[17]

## प्रवास-पूर्व चरण

क. आज महिला श्रमिकों का प्रवास अत्यधिक विषम है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, नर्सिंग एवं घरेलू देखभाल कार्य सहित तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में विभिन्न कौशल वाले श्रमिक शामिल हैं। इस तरह के बदलाव ने पूर्व-प्रवासन चरण में उभरती चुनौतियों के अनुरूप सभी प्रक्रियाओं एवं हितधारकों को तैयार करने और सक्षम बनाने को आवश्यक बना दिया है, जिसमें इच्छुक प्रवासियों के लिए सटीक जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रवासन इरादों पर डेटा एकत्र करना भी शामिल है। इस संदर्भ में, प्रवासन नीतियों और कार्यप्रणाली को महिला-विशिष्ट हितों और मांगों को संबोधित करने के लिए अनुरूप सामग्री और कार्यप्रणाली को अपनाना चाहिए।

ख. प्रवास-पूर्व चरण में प्रवास से संबंधित संभावनाओं एवं खामियों की जानकारी प्राप्त करना और प्रवास के इरादे एवं पिछले अनुभवों पर गुणात्मक डेटा एकत्र करना शामिल होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान महिला प्रवासी श्रमिकों के साथ मुख्य समूह चर्चा (जैसे कि प्रस्थान-पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण) संभावित प्रवासन प्रवृत्तियों पर इनपुट प्रदान करेगी और प्रवासी महिलाओं की जागरूकता को कुशलतापूर्वक बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करने की सुविधा देगी। इसके लिए, 'संपूर्ण-समाज' दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा पीडीओटी पाठ्यक्रम को फिर से तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है।

ग. मूल हितधारकों और वापस लौटने वाली महिला प्रवासियों को शामिल करने वाली तदर्थ कार्यशालाएँ लाभदायक होंगी। ऐसे परामर्शों के दौरान नागरिक समाज संगठनों, महिला प्रवासियों के प्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के अनुभव वाले शिक्षाविदों का उपयोग महिला प्रवासियों के ज्ञान और अनुभव को बदलने में मध्यस्थों के रूप में किया जा सकता है।

**वैश्विक कार्यप्रणाली 6: श्रीलंका में महिला कार्यबल के लिए प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण (पीडीटी)**

प्रवासी श्रमिकों, पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता, दो प्रमुख नीतिगत पहलों में सन्निहित है, यानी श्रीलंका ब्यूरो ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट (एसएलबीएफई) में सभी प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण और एसएलबीएफई अधिनियम के संदर्भ में भर्ती एजेंसियों को लाइसेंस देना, साथ ही मॉडल अनुबंध तैयार करना एवं न्यूनतम वेतन पर बातचीत करना।

महिला प्रवासी श्रमिकों, विशेषकर घरेलू कामगारों के लिए प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया और एसएलबीएफई के साथ पंजीकरण के लिए एक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य बन गया है। प्रशिक्षण को महिलाओं के लिए आवश्यक जरुरतों जैसे भाषा का बुनियादी ज्ञान, प्रवास-पूर्व व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, जिसमें बैंकिंग व बचत, बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य के साथ-साथ कोर वैल्यू के प्रति भटकाव, भावनात्मक दबाव, अकेलापन, सांस्कृतिक आघात, चिंता एवं मनोवैज्ञानिक चोट और पुन: एकीकरण पर काबू पाने की रणनीतियाँ शामिल हैं।

भारत में, विशेष रूप से महिला प्रवासियों के लिए तैयार किए गए पीडीओटी भी आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए, वापस लौटने वाली महिला प्रवासियों के साथ नियमित फोकस-ग्रुप चर्चा आयोजित करने से उभरती बारीकियों और जरूरतों के बारे में जानकारी मिल सकती है, जो रोजगार हेतु विदेश में रहने की इच्छुक महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

17 Further consultations with civil society organizations, representatives of women migrants, and academicians are required to chart methodolo-gies for disaggregated data collection (quantitative and qualitative) at such check points.

घ. साथ ही, परामर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत वापस लौटने वाली महिला प्रवासियों को शामिल करने से सरकार को सुरक्षित, कानूनी एवं नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए विश्वास और विश्वसनीयता तक पहुंचने और पुनर्निर्माण करने में मदद मिलेगी। इससे अपार जानकारी और प्रवासन प्रक्रियाओं की प्रत्यक्ष समझ पाने में भी मदद मिलेगी। इसके आधार पर, विदेश में सामाजिक और कामकाजी परिस्थितियों पर प्रस्थान पूर्व जानकारी और प्रशिक्षण, जीवन एवं चिकित्सा बीमा, साथ ही बुनियादी भाषा प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, और इससे महिला प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों का रोजगार के देश में सुचारु संक्रमण सुनिश्चित होगा।

ङ. भारत में विकेन्द्रीकृत जागरूकता की अधिक आवश्यकता है। उत्प्रवासन विधेयक 2022 का मसौदा भारतीय दूतावासों एवं वाणिज्य दूतावासों में प्रवासी कल्याण समितियों की स्थापना पर बल देता है। हालाँकि, इस तरह के उपाय को भारत के स्रोत क्षेत्रों तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है। भर्ती और विदेशी रोजगार के बारे में गलत जानकारी सहित प्रवास संबंधी चिंताओं को दूर करने हेतु स्रोत क्षेत्रों में प्रवासी संसाधन केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। भौगोलिक स्तर पर इस तरह के बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि सभी आवश्यक जानकारी सबसे कमजोर आबादी तक पहुंचे। दूसरी ओर, इससे डेटा के संग्रह की सुविधा भी मिलेगी, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की प्रवृत्तियों और अनुभवों और अनैतिक एवं अनियमित भर्ती तरीकों पर।

च. मसौदा उत्प्रवासन विधेयक 2022 की धारा 17, (x) में हालिया प्रावधान देश के विभिन्न हिस्सों में सब-एजेंटों के नेटवर्क को संचालित करने की सुविधा देता है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि इसके परिचालन मानकों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है, अनैतिक और अनियमित भर्ती प्रथाओं को संबोधित करने हेतु भर्ती एजेंसियों और उनके उप-एजेंटों के बीच औपचारिक समझौते लागू किए जा सकते हैं। इससे इच्छुक प्रवासियों, विशेष रूप से महिलाएं, अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों में विश्वास हासिल करने के लिए प्रेरित हो सकती हैं, खासकर जानकारी साझा करते समय।

### प्रवास के समय

सभी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का अनुच्छेद 7 सदस्य देशों को प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों के अधिकारों का सम्मान करने और सुनिश्चित करने का आदेश देता है। इस परिप्रेक्ष्य में, किसी भी सु-लक्षित हस्तक्षेप हेतु प्रवासन प्रक्रिया को समझा आवश्यक होता है। प्रवासन की प्रक्रिया को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी देखने की आवश्यकता है। इसमें समुदायों, रिश्तेदारी संबंधों एवं अन्य सामाजिक नेटवर्क द्वारा निभाई गई भागीदारी और भूमिका को स्वीकार करना शामिल है। इससे यह समझाने में मदद मिलेगी कि क्यों कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में अधिक प्रवास (उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों से महिलाओं को पलायन करते देखा जाता है जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से कोई महिला प्रवास नहीं देखा जाता है) होता है।

सांख्यिकीय डेटा की सूक्ष्म समाजशास्त्रीय समझ के लिए राज्यों/क्षेत्रों में गुणात्मक सर्वेक्षण[18] किए जा सकते हैं। इस तरह के डेटा से महिलाओं की प्रवासन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, जिससे बदले में, क्षेत्र-विशिष्ट वास्तविकताओं पर विचार करते हुए अधिक संवेदनशील नीति प्रावधानों को सुविधाजनक बना सकती है।

18 Such surveys may be formulated to capture the reasons underlying migration from some regions and communities and not others. For ex-ample, why is there a strong geographical cluster of women migrants in specific regions of Andhra Pradesh or Tamil Nadu but not in other parts of the country? Evidence shows these source regions have a history of women's migration and strong network and connection with destination countries. Such movements have progressed independent of governmental policies and interventions.

**वैश्विक कार्यप्रणाली 7: फिलीपींस महिला प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा हेतु रूपरेखा और विशेष चैनल**

प्रवासियों के प्रमुख देशों के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौतों और समझौता ज्ञापन सहित तरीकों से, फिलीपींस ने वर्कप्लेस पर प्रवासी श्रमिकों को काफी सुरक्षा प्रदान की है। वहां एक सामान्य नियम है कि, फिलीपीन सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा ढांचे के आधार पर द्विपक्षीय श्रम समझौते करती है। हालाँकि, ऐसे समझौतों के तहत बातचीत में वेतन में चोरी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में, फिलीपींस सरकार फिलीपींस दूतावास और गंतव्य देश में संबंधित मंत्रालयों के बीच एक विशेष संचार चैनल स्थापित करती है। एक उदाहरण फिलीपींस के घरेलू कामगारों के लिए फिलीपीन दूतावास और सिंगापुर में जनशक्ति मंत्रालय के बीच स्थापित एक ऐसा चैनल होगा।

उदाहरण के लिए, घरेलू विधायी ढांचे के माध्यम से, महिला प्रवासियों की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान की जाती है और ऐसी नीतियों की मांग की जाती है जो प्रवासी श्रमिकों के कल्याण हेतु नियुक्त कार्यक्रमों और निकायों के निर्माण और कार्यान्वयन में लिंग-संवेदनशील मानदंड लागू करती हों। ऐसा प्रावधान भी है जो यह सुनिश्चित करता है कि महिला प्रवासी श्रमिकों की कमजोरियों और जरूरतों को समायोजित करने हेतु फिलीपींस ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (पीओईए) और ओवरसीज वर्कर्स वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन (ओडब्ल्यूडब्ल्यूए) के बोर्ड में कम से कम एक महिला प्रवासी श्रमिक को सीट मिले।

*Villalba. C. Philippines: good practices for the protection of filipino women migrant workers in vulnerable jobs. International Labour Office: Gender Promotion Programme.*

### 1.4. मध्यम अवधि: कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग

सीपीवी प्रभाग कांसुलर मामले, वीज़ा एवं पासपोर्ट जारी करने और ओसीआई के पंजीकरण से संबंधित कई डेटाबेस का प्रबंधन करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित पूरा सांख्यिकीय डेटा तैयार करने हेतु इन डेटाबेस को अन्य प्रशासनिक डेटाबेस के साथ जोड़ने की सिफारिश की जाती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) का समर्थन इस मामले में अत्यधिक फायदेमंद होगा।

व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक डेटाबेस के जुड़ाव से नीति समर्थन हेतु सार्थक सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, पासपोर्ट जारी करने या पुनः जारी करने, ओसीआई के पंजीकरण और दुनिया भर में वाणिज्य दूतावासों और दूतावासों द्वारा एकत्र किए गए अन्य डेटा के बीच संबंध अलग-अलग स्तर पर प्रवासी भारतीयों के प्रवासन रुझान और विशेषताओं का विश्लेषण करने में मदद करेगा।

### 1.5. दीर्घकालिक: राष्ट्रीय प्रवासन डेटा प्रबंधन

निम्नलिखित अधिदेशों के साथ द्वि-वार्षिक बैठकें आयोजित करने के लिए किसी उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी एजेंसी या सचिव समिति की स्थापना, जिसमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय शामिल हो सकते हैं:

- सबसे महत्वपूर्ण एवं सटीक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन डेटा के कवरेज एवं सृजन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के बीच सहयोग शुरू करना और सुविधाजनक बनाना। इस सहयोग में विभिन्न प्रशासनिक स्रोतों से संभावित डेटा लिंकेज की आवश्यक शर्तें तैयार करना शामिल होगा ताकि सभी एकत्रित डेटा का यथासंभव प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।
- सहयोग की सुविधा के लिए और डेटा संग्रह के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने हेतु एक सांख्यिकीय आयोग (राज्य सरकारों, सांख्यिकी विशेषज्ञों, प्रवासन विशेषज्ञों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि) और विषय-केंद्रित कार्य बलों की स्थापना करना (सेट चर, परिभाषाएँ, मेटाडेटा विवरण और प्रकाशन के लिए रणनीति सहित)
- राष्ट्रीय सांख्यिकी के केंद्रीकृत प्रसार हेतु विभिन्न मंत्रालयों और प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किए गए डेटा (एकत्रित या अलग-अलग) को इकट्ठा और सुसंगत बनाना।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संबंधी परिभाषाओं को सुव्यवस्थित करने और डेटा विश्लेषण एवं अनुमानों में सहायता प्रदान करने के लिए एक उप-समूह का आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावा, विश्लेषण प्रासंगिक मंत्रालयों और संरचनाओं को डेटा प्रबंधन के दृष्टिकोण से लैस करने हेतु डेटा-संबंधित दिशानिर्देशों के विकास का समर्थन कर सकता है।
- इसके अलावा, नीति विकास को सूचित करने के साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के सभी मामलों पर डेटा संग्रह एवं आंकड़ों के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करने और बढ़ावा देने हेतु एक उप-समिति की स्थापना की जा सकती है।

### 1.6. विदेश मंत्रालय के लिए प्रवासडेटा प्रबंधन पर अतिरिक्त विचार

1. ***आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास:*** ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं जिनका अलग से अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि कई प्रवासी आंतरिक प्रवास के साथ अपना प्रवास शुरू करते हैं और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करने लगते हैं। प्रशासनिक तंत्र में अंतरराष्ट्रीय एवं आंतरिक प्रवासियों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है, जबकि दोनों प्रकार के प्रवास काफी जुड़े हुए हैं।
2. ***राज्य-विशिष्ट संग्रह:*** थिंक टैंक, संस्थानों एवं प्रवासन-संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के ज़रिए, विदेश मंत्रालय ई-माइग्रेट डेटाबेस के माध्यम से चिन्हित किए गए उच्च प्रवासन जिलों में गहन गुणात्मक एवं मात्रात्मक अध्ययन को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा, ऐसी एजेंसियों को प्रवासन और एकीकरण अध्ययन में विशेषज्ञता वाले अकादमिक विद्वानों के राज्य-विशिष्ट संग्रह के सृजन के लिए भी उपयुक्त रूप से रखा जाएगा, जिसे नागरिक समाज संगठनों के लिए एक पोर्टल विकसित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे पोर्टल अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का समर्थन करेंगे, विशेष रूप से उन्हें मोबिलिटी के भूगोल, प्रवास प्रक्रियाओं की जटिलता, प्रवासी, प्रवास-संबंधी विविधता, लिंग, स्वास्थ्य एवं सामाजिक आयामों से संबंधित ट्रेंड्स के बारे में जानकारी देकर।
3. ***डेटा सुरक्षा:*** प्रवासी सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति या समूह के बारे में डेटा एकत्र करते समय, डेटा सुरक्षा के सख्त सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित

आदान-प्रदान, सुरक्षित भंडारण एवं गोपनीयता के लिए डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

4. ***टोकन जारी करने की प्रणाली:*** विदेश जाने के इच्छुक भारतीय प्रवासियों (छात्रों सहित) को अपना वीज़ा आवेदन जमा करने से पहले ऑनलाइन टोकन लेना अनिवार्य किया जा सकता है। इससे विदेश मंत्रालय को वैश्विक स्तर पर भारतीय छात्रों की संख्या की अधिक सटीक जानकारी मिल सकेगी। यह जानकारी संबंधित भारतीय राजनयिक मिशनों को टोकन जारी करने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के साथ अपने डेटाबेस का मिलान करने में भी मदद कर सकती है।
5. ***नीति समावेशन:*** मसौदा उत्प्रवासन विधेयक 2021 में, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आंकड़ों को स्पष्ट करने हेतु सांख्यिकीय डेटा और प्रशासनिक डेटाबेस तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता को शामिल किया जा सकता है। इसलिए, विभिन्न मंत्रालयों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता है।
6. ***ईगेट:*** एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सीमा नियंत्रण पर डेटा लिंकेज अलग-अलग आधार पर होता है। ई-माइग्रेट प्रणाली से जुड़ी ईगेट प्रणाली सीमा पार से फ्लो को जानने के बोझ को सीमित करने में मदद करेगी, जिससे प्रवासन आंकड़ों के अधिक डिजिटल एवं व्यापक प्रबंधन की सुविधा मिलेगी।

*Lehtonen, P., & Aalto, P. (2017). Smart and secure borders through automated border control systems in the EU? The views of political stakeholders in the Member*

**वैश्विक कार्यप्रणाली 8: स्मार्ट बॉर्डर्स**

2015 के बाद से कई यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों में प्रवासियों की बढ़ती आमद ने सीमा सुरक्षा के प्रौद्योगिकीकरण एवं डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित किया है। "प्री-फ्रंटियर" क्षेत्रों की जीपीएस एवं उपग्रह-सहायता वाली निगरानी के अलावा, पासपोर्ट रीडर्स, पहचान सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक्स, स्वचालित प्रक्रियाओं एवं स्वचालित सीमा नियंत्रण (एबीसी) के माध्यम से लोगों के फ्लो की निगरानी के साइबरस्पेस में बड़े पैमाने पर डेटा प्रबंधन सहित सीमा सुरक्षा को मुख्यधारा में लाया गया है।

इसमें एक प्रमुख प्रक्रिया यूरोपीय आयोग द्वारा 2011 में शुरू की गई "स्मार्ट बॉर्डर्स" नीति है। यह स्वचालित सूचना साझाकरण और सेल्फ-शेयरिंग पर भरोसा करके संघ की बाहरी सीमाओं को बेहतर ढंग से सुरक्षित करने एवं सीमा पार (क्रॉस बार्डर) करने को सुव्यवस्थित करने का प्रयास है। इसमें तीसरे देश के नागरिकों के लिए एक सामान्य एंट्री/एग्जिट प्रणाली (ईईएस) का विधायी प्रस्ताव और शेंगेन सीमा संहिता में संबंधित संशोधन, और आगे के तकनीकीकरण हेतु सहवर्ती सुझाव शामिल हैं।

इससे न केवल लागत दक्षता और सुरक्षा के लिए बल्कि यूरोपीय एकीकरण प्रक्रिया में उनकी उपयोगिता के कारण यूरोपीय संघ में एबीसी प्रक्रियाओं और गेटों के सामंजस्य की सुविधा भी मिली। हालाँकि, अन्य उद्देश्यों के लिए डेटा के उपयोग को प्रतिबंधित करने और यात्रियों को उनके व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के बारे में पारदर्शी एवं कुशलता से सूचित करने की चेतावनी दी गई है।

## 2. गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कई विभाग भारत में अपने सामान्य निवास (आंतरिक प्रवासियों) एवं बाहर आने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों (लौटने वाले प्रवासियों) के साथ आबादी के प्रशासनिक पंजीकरण से संबंधित डेटा संग्रह के लिए जिम्मेदार हैं। मंत्रालय जनसंख्या पंजीकरण (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एवं आईडी कार्ड जारी करने के माध्यम से), जनसंख्या खाता (जनगणना के माध्यम से), और जनसंख्या परिवर्तन (महत्वपूर्ण आंकड़ों के पंजीकरण और सीमा नियंत्रण के माध्यम से) की देखरेख करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन ढांचे के भीतर मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है:

1. ***मुख्यधारा का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन:*** हालांकि, प्रवासन एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय पहलू है, डेटा संग्रह, प्रबंधन एवं उसके बाद आंकड़ों को तैयार करना अभी सीमित स्तर पर है। विभिन्न विभागों में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन-संबंधी डेटा संग्रह को मुख्यधारा में लाना रणनीतिक विकास का हिस्सा होना चाहिए, जिसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रवास-संबंधी सांख्यिकी प्रबंधन में सुधार करना है।

2. ***डेटा को पॉप्युलेट करने हेतु चैनलों का लाभ उठाना:*** गृह मंत्रालय देश में जनसंख्या एवं आवागमन पर अधिकांश डेटा प्राप्त करने और विनियमित करने की सबसे अच्छी स्थिति (भारत में जनसंख्या और प्रवासन से संबंधित डेटा प्रबंधन पर मंत्रालय तथा इसके विभिन्न विभागों के वर्तमान आदेशों के अनुसार) में है। यह प्रशासनिक रिकॉर्ड और जनगणना गणना डेटा एकत्र करने और प्रवासन पर नियमित एवं वार्षिक आंकड़े प्रकाशित करने के लिए अपने चैनलों का इस्तेमाल कर सकता है।

3. **विभिन्न विभागों से डेटा का सामंजस्य बनाना:** सभी मौजूदा डेटा स्रोतों के सबसे प्रभावी उपयोग के लिए, प्रशासनिक डेटाबेस का प्रबंधन करने वाले प्रासंगिक एमएचए विभागों के साथ समन्वय और गतिविधियों को बढ़ाना, जिसमें माइग्रेशन-संबंधित डेटा शामिल है, विवेकपूर्ण हो सकता है। इससे सबसे उपयुक्त स्रोतों की पहचान करने और प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर आवश्यक प्रवास फ्लो के आंकड़े तैयार करने में मदद मिलेगी।

4. **विभिन्न मंत्रालयों से डेटा का सामंजस्य:** अंतरराष्ट्रीय प्रवासन पर काम कर रहे अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय बढ़ाना केंद्रीकृत पृथक्करण एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आंकड़ों के प्रसार हेतु महत्वपूर्ण है।

### 2.1. रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयोग का कार्यालय

अगली जनगणना की तैयारी में और इसे डिजिटल प्रारूप में बनाने के इरादे से, इसके बाद की जनगणना और किसी अन्य अंतर-जनगणना सांख्यिकीय डेटा संग्रह में में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

क. अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय सिफारिशों के अनुरूप प्रवास-संबंधी संकेतकों की स्पष्ट परिभाषाएँ प्रदान करना।

ख. छह महीने या उससे अधिक समय से देश से बाहर रहने वाले लोगों को, भले ही उन्होंने भारत वापस आने का इरादा व्यक्त किया हो, इससे बाहर रखा जाना चाहिए (छह महीने से कम समय तक विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को उनके मूल परिवार में शामिल किया जाना चाहिए लेकिन अस्थायी रूप से अनुपस्थित के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए)

## 2.2. आप्रवासन ब्यूरो

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के स्तर और प्रवाह को समझने के प्रयास किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन डेटा प्रबंधन से संबंधित तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने हेतु क्षमता विकास संबंधी गतिविधियाँ की जा सकती हैं।

आव्रजन जांच चौकियों पर तैनात सीमा पुलिस प्रवासी व्यक्तियों के वीजा एवं पासपोर्ट की निगरानी करते हुए सभी एंट्री और एग्जिट पर उनको पंजीकृत करते समय अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

क. यात्रियों की आवश्यक सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर आगमन एवं प्रस्थान संबंधी आंकड़े तैयार करने और यात्रियों के मूल देश और भारत में या बाहर रहने की अवधि को चिन्हित करने के लिए सीमा नियंत्रण डेटाबेस का निर्माण करना आवश्यक है।

ख. ऐसा रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय, जनगणना आयोग एवं आप्रवासन ब्यूरो के सहयोग से किया जा सकता है, जिसमें उनके संबंधित डेटाबेस का सामंजस्य एकत्रित डेटा के आधार पर विदेशियों तथा भारतीय नागरिकों दोनों के प्रवासन फ्लो को तैयार करने और इसके वितरण में योगदान दे सकता है।

आप्रवासन, जिसमें उनके संबंधित डेटाबेस का सामंजस्य एकत्रित डेटा के आधार पर विदेशियों और भारतीय नागरिकों दोनों के प्रवासन प्रवाह के उत्पादन और वितरण में योगदान कर सकता है।

***विदेश*** (एक बाहरी देश) से पिछले आगमन पर डेटा जिसमें पिछले आगमन का वर्ष और समय और विदेशी आप्रवासियों एवं भारतीय प्रवासियों की वापसी दोनों के लिए ***पिछले निवास का देश शामिल है***। यह प्रश्न आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के बीच अंतर करने हेचु महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है जब सामान्य निवास के पिछले स्थान पर ही प्रश्न पूछा जा रहा है।

**एक या पांच वर्ष पहले** (भारत में या विदेश में), या/और पिछली जनगणना के सामान्य निवास स्थान का डेटा। **जनसंख्या पूर्वानुमान** हेतु यह प्रश्न आसान लेकिन अधिक उपयोगी है। पाँच वर्ष का प्रश्न अधिक उपयुक्त हो सकता है क्योंकि कई कम-कुशल श्रमिक प्रत्येक चक्र में दो या अधिक वर्षों तक प्रवास करते हैं।

**प्रवासन के विगत तीन चक्रों** पर विचार करके, प्रवासन के एक से अधिक कारणों को दर्ज आदि करने के द्वारा जनगणना के प्रवासन मॉड्यूल में सुधार किया जा सकता है।

## 3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आँकड़े तैयार करने और प्रसारित करने वाली प्रमुख संस्था है। इसलिए, निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

क. सीएसओ को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित सभी सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

ख. चूंकि इनमें से कुछ सांख्यिकीय आंकड़े विभिन्न प्रशासनिक डेटाबेस से डेटा प्रोसेसिंग के ज़रिए प्राप्त किए जा सकते हैं, सीएसओ को इन डेटाबेस का प्रबंधन करने वाले विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से, डेटा संग्रह एवं सांख्यिकीय प्रसंस्करण की योजना बनाने और समन्वय करने के लिए गृह मंत्रालय और उसके रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयोग के कार्यालय के साथ, जैसा कि ऊपर 3.1 में अनुशंसित है।

ग. सीएसओ को भारतीय नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुरोधित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित सभी डेटा तैयार करने में प्रत्येक मंत्रालय की भूमिका की पहचान करने में मदद करने के लिए ऊपर अनुशंसित अंतर-मंत्रालयी समिति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

घ. हाल ही में सीएसओ द्वारा बनाए गए सांख्यिकीय टूल्स और, विशेष रूप से, सैंपल सर्वे के संबंध में, श्रम बल सर्वे या किसी अन्य घरेलू सैंपल सर्वे में वार्षिक आधार पर एक तदर्थ प्रवासन मॉड्यूल जोड़ने की सिफारिश की जाती है। सैंपल सर्वे में प्रवासन करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसमें विदेशी (गैर-भारतीय) मूल के लोग शामिल होने चाहिए जो सर्वेक्षण के समय (निवास के सामान्य स्थान की परिभाषा को लागू करते हुए) कम से कम छह महीने से भारत में रह रहे हों। इस प्रकार, सैंपल सर्वे तथा जनगणना के लिए उपयोग की जाने वाली जनसंख्या कवरेज और परिभाषाओं में सामंजस्य होना चाहिए। सर्वेक्षण की प्रश्नावली में प्रवासन बैकग्राउंड से संबंधित निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं और सवालों पर विचार किया जा सकता है:

**साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के लिए:**

- नागरिकता का देश (यदि भारत नहीं है), प्लस स्थिति ओसीआई यदि भारतीय मूल लेकिन विदेशी नागरिकता है
- जन्म का देश
- विदेश में पिछले/अंतिम निवास का देश
- विदेश में रहने के बाद किसी अन्य देश से अंतिम आगमन का वर्ष/समय/कम से कम 6 महीने के लिए भारत से दूर रहना या विदेश से आने के बाद भारत में रहने की अवधि
- विदेश से भारत में निवास बदलने का कारण
- यदि व्यक्ति भारत लौट आया है (भारत में जन्मे या) तो विदेश में निवास की अवधि

**घरेलू के लिए:**

- सर्वेक्षण से पहले वर्ष के दौरान विदेश चले गए परिवार के सदस्यों का डेटा - बुनियादी जनसांख्यिकीय डेटा, दूर रहने की अवधि/प्रवास का समय, कारण, वर्तमान निवास का देश।

ङ. मौजूदा सर्वेक्षणों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित प्रश्नों को शामिल करने से प्रवासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने और अपडेट करने में मदद मिल सकती है। जिन परिवारों का कोई करीबी व्यक्ति विदेश में रहता है, उनका अनुपात राज्यों में अलग-अलग है। सर्वेक्षणों में विदेश में रहने वाले सदस्यों पर प्रश्न शामिल करने से राज्यों के बीच की बारीकियों को समझने एवं राष्ट्रव्यापी ट्रेंड्स पर डेटा तैयार करने में मदद मिल सकती है। घरेलू प्रेषण पर जानकारी शामिल करने हेतु इस सर्वेक्षण के दायरे को और बढ़ाया जा सकता है जो विकास को मापने का एक बहुत जरूरी आर्थिक आयाम प्रदान करेगा।

# प्रमुख सिफ़ारिशों का सारांश

*क. मजबूत संचार: प्रक्रिया को पंजीकृत करने एवं प्रोत्साहित करने के फायदों पर निर्देश ई-माइग्रेट पर स्वैच्छिक एवं अनिवार्य पंजीकरण को प्रोत्साहित कर सकते हैं।*

*ख. ठहरने की अवधि पर विशेष ध्यान: प्रवासियों एवं वापस लौटने वाले प्रवासियों को वर्गीकृत करने हेतु किसी विशेष प्रवासन चक्र के दौरान कई बार रुकना, बार-बार रुकना और भारत के भीतर संबंधित अंतराल को पंजीकृत करना।*

## विदेश मंत्रालय (एमईए)

### 1.1. तत्काल: ई-माइग्रेट

**क.** ***मजबूत संचार:*** प्रक्रिया को पंजीकृत करने एवं प्रोत्साहित करने के फायदों पर निर्देश ई-माइग्रेट पर स्वैच्छिक एवं अनिवार्य पंजीकरण को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

**ख.** ***प्रवास की अवधि पर ध्यान:*** प्रवासियों एवं वापस लौटने वाले प्रवासियों को वर्गीकृत करने हेतु किसी विशेष प्रवासन चक्र के दौरान एकाधिक प्रवास, बार-बार प्रवास और भारत के भीतर संबंधित अंतराल को पंजीकृत करना।

**ग.** ***पोर्टल का दायरा बढ़ाना:*** डेटा की उपलब्धता एवं प्रकाशित आँकड़ों के दायरे में सुधार हेतु निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जा सकता है:

1. प्रवासन की मैपिंग हेतु डेटा का उपयोग करने और प्रवासन के लाभों को बढ़ाने की दिशा में प्रवासन डेटा संग्रह पर ध्यान केंद्रित करना।
2. सांख्यिकीय डेटाबेस और यूजर डैशबोर्ड आसान, स्पष्ट, ठोस, आकर्षक विज़ुअलाइज़ेशन और चित्रण, लघु सांख्यिकीय अवलोकन एवं प्रासंगिक मेटाडेटा से लाभ हो सकता है।
3. प्रवासन से संबंधित सभी घटकों पर आँकड़े लिंग एवं आयु समूहों (एकल या पाँच-वर्षीय समूह) दोनों के लिए स्पष्ट रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
4. कुछ लिंग-विशिष्ट डोमेन को कवर करने के लिए प्रवासन के लिंग आयाम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
5. अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की वापसी सहित सभी विभिन्न श्रेणियों के प्रवासियों, उनकी कमजोरियों एवं प्रवासन प्रक्रियाओं की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने हेतु पोर्टल के दायरे को बढ़ाना।
6. एक तदर्थ सर्वेक्षण (गुणात्मक), संभवतः सीमा बिंदुओं पर, लिंग-संवेदनशील विषयों सहित ई-माइग्रेट प्रणाली के भीतर निरंतर डेटा संग्रह में अतिरिक्त घटक की

आवश्यकता की पहचान करने में मदद करेगा।

7. लौटने वाले प्रवासियों के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु सीमा पार डेटा के रिकॉर्ड को ई-माइग्रेट डेटा के साथ जोड़ना।

घ. ***डेटा सेट की तुलना:*** प्रस्थान के देश के बीच प्रवासन की संख्या और आगमन के देश के बीच प्रवासन की संख्या के रूप में प्रवासन फ्लो डेटा की तुलना करने से दुनिया भर में भारतीय नागरिकों के प्रवासन फ्लो की वैधता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

ङ. ***अकादमिक सांख्यिकीय विश्लेषण:*** एकत्रित आंकड़ों से उभरने वाले ट्रेंड और पैटर्न को देश से बाहरी प्रवासन से संबंधित विशेषताओं और व्यवहारों का विश्लेषण करने के लिए अकादमिक उपयोग या विद्वानों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

## 1.2. भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव और बिग डेटा का इस्तेमाल

क. बिग डेटा मौजूदा अनुसंधान विधियों को बारीकियां प्रदान करने एवं पारंपरिक तरीकों में पाई गई कमियों और चुनौतियों को भरने का एक उपकरण है। यह निम्नलिखित पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है:

- गंतव्य देशों के भीतर प्रवासी समुदाय कहाँ सबसे अधिक हैं
- विभिन्न देशों में प्रवासी समुदायों का विकास
- प्रवासन पैटर्न में विशिष्ट "वेव" या रुझान
- प्रवासी भारतीयों की विभिन्न विशेषताएँ एवं रुचियाँ
- वे किस सीमा तक मूल देश के साथ जुड़े हुए हैं

ख. वेबसाइट एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया उपयोग डेटा, ओनोमैस्टिक विश्लेषण और स्थानिक या भौगोलिक डेटा जैसे डेटा स्रोतों की उपलब्धता।

ग. प्रवासी भारतीयों को विकास के कारकों के रूप में शामिल करने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप और कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रवासी भारतीयों के सदस्यों द्वारा किए गए विदेशी पूंजी प्रवाह को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रवासी भारतीयों के संभावित योगदान पर डेटा।

घ. परोपकार को विदेशों में प्रवासी फाउंडेशनों और दान की मैपिंग के ज़रिए भी मापा जा सकता है।

## 1.3. लिंग-उत्तरदायी प्रवासन डेटा प्रबंधन

***सामान्य सिफ़ारिश***

क. रोजगार सूचना केंद्रों और/या सामाजिक कार्यकर्ताओं (जैसे आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं) के सहयोग से नियमित अंतराल पर महिलाओं के प्रवास करने के इरादे पर सर्वेक्षण के ज़रिए डेटा एकत्र करने से स्थानीय प्रशासन को ऐसे सर्वेक्षण करने में मदद मिल सकती है।

ख. स्वेच्छा से सटीक जानकारी प्रदान करने के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी इससे लाभ हो सकता है। इससे प्रवासन की लगातार उभरती नई वास्तविकताओं को समझने में मदद मिलेगी और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ साक्ष्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेप की सुविधा मिलेगी।

A. भारत की दशकीय जनगणना महिला-केंद्रित प्रश्नों और प्रवासन, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से संबंधित मॉड्यूल को शामिल करके लैंगिक प्रवासन प्रवृत्तियों को समझने में बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकती है।

B. उल्लंघन की जांच करने और रोकने के लिए उत्प्रवास जांच चौकियों का उपयोग महिला प्रवासियों पर विशिष्ट डेटा सहित लिंग-विभाजित डेटा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त डेटा संग्रह केंद्र के रूप में भी किया जा सकता है।

***प्रवास-पूर्व चरण***

**क.** प्रशिक्षण के दौरान **महिला प्रवासी श्रमिकों के साथ फोकस ग्रुप चर्चा** (जैसे कि प्रस्थान-पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण) से संभावित प्रवासन प्रवृत्तियों पर इनपुट मिलेगा और संभावित प्रवासी महिलाओं की जागरूकता को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करने की सुविधा मिलेगी।

**ख.** नागरिक समाज, महिला प्रवासियों के प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों जैसे हितधारकों को शामिल करने वाली **तदर्थ कार्यशालाओं** का उपयोग महिला प्रवासियों के ज्ञान और अनुभव को कार्यप्रणाली में बदलने में सक्षम मध्यस्थों के रूप में किया जा सकता है।

**ग.** भारत में **विकेन्द्रीकृत जागरूकता सृजन** की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवश्यक जानकारी सबसे कमजोर आबादी तक पहुंचे और डेटा संग्रह की सुविधा भी हो।

**घ.** यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्यक उद्यम लागू किया गया है। भर्ती के अनैतिक एवं अनियमित तरीकों से निपटने के लिए भर्ती एजेंसियों और उनके उप-एजेंटों के बीच औपचारिक समझौतों को लागू किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इच्छुक महिला प्रवासियों को अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों में **विश्वास बढ़ेगा**, खासकर जानकारी साझा करते समय।

***प्रवास के समय***

**क.** प्रवासन प्रक्रिया के व्यापक संदर्भ को ठीक से समझने के लिए कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में अधिक गहन प्रवासन प्रवृत्तियों को समझाने वाले **समुदायों, रिश्तेदारी संबंधों एवं अन्य सामाजिक नेटवर्क द्वारा निभाई गई भागीदारी और भूमिका को** गहनता से समझाने की आवश्यकता है।

**ख.** महिलाओं की प्रवासन प्रक्रिया की बेहतर समझ को आसान बनाने हेतु सांख्यिकीय डेटा की सूक्ष्म समाजशास्त्रीय समझ के लिए स्रोत राज्यों/क्षेत्रों में **गुणात्मक सर्वेक्षण** आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे क्षेत्र-विशिष्ट वास्तविकताओं पर विचार करते हुए अधिक उत्तरदायी नीति प्रावधानों की सुविधा मिल सकती है।

### 1.4. मध्यम अवधि: कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग

क. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित सांख्यिकीय डेटा तैयार करने हेतु सीपीवी-संबंधित डेटाबेस को अन्य प्रशासनिक डेटाबेस के साथ जोड़ने की सिफारिश की जाती है।

ख. अलग-अलग स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक डेटाबेस को लिंक करने से नीति समर्थन के लिए सार्थक सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने में मदद मिल सकती है।

ग. इसके अलावा, पासपोर्ट जारी करने या पुनः जारी करने, ओसीआई के पंजीकरण और दुनिया भर में वाणिज्य दूतावासों और दूतावासों द्वारा एकत्र किए गए अन्य डेटा के बीच लिंकेज

अलग-अलग स्तर पर प्रवासी भारतीयों के प्रवासन ट्रेंड और विशेषताओं का विश्लेषण करने में मदद करेगा।

### 1.5. दीर्घकालिक: राष्ट्रीय प्रवासन डेटा प्रबंधन

क. निम्नलिखित कार्यों को करने हेतु आवश्यक समन्वय को जानने के लिए द्वि-वार्षिक बैठकें आयोजित करने के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त अंतर-मंत्रालयी एजेंसी या एक उच्च-शक्ति सचिव समिति की स्थापना करना:

1. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी क्षेत्रों के आँकड़ों का कवरेज सुनिश्चित करने और सबसे उपयोगी एवं सटीक डेटा तैयार करने के लिए सभी मंत्रालयों/प्राधिकरणों के बीच **सहयोग शुरू करने और सुविधाजनक बनाने।**

2. सहयोग का प्रबंधन करने और डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए एक सांख्यिकीय आयोग **और विषय-केंद्रित कार्यबल की स्थापना करने।**

3. राष्ट्रीय सांख्यिकी के केंद्रीकृत प्रसार के लिए विभिन्न मंत्रालयों और प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किए गए **डेटा (एकत्रित या अलग-अलग) को इकट्ठा और सुसंगत बनाना।**

ख. एक उप-समूह अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के क्षेत्र में **परिभाषाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है, डेटा विश्लेषण एवं अनुमानों का मार्गदर्शन कर सकता है**, और संबंधित मंत्रालयों और संरचनाओं को डेटा प्रबंधन के दृष्टिकोण से लैस करने हेतु डेटा-संबंधित दिशानिर्देशों के विकास का समर्थन कर सकता है।

ग. इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी मामलों पर डेटा संग्रह और आंकड़ों के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने और बढ़ावा देने के लिए एक **उप-समिति** की स्थापना की जा सकती है।

### 1.6. प्रवासन डेटा प्रबंधन पर अतिरिक्त विचार

**क.** ***आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन:*** ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं जिनका अलग से अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि कई प्रवासी आंतरिक प्रवास के साथ अपना प्रवास शुरू करते हैं और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करने लगते हैं।

**ख.** ***राज्य-विशिष्ट डेटाबेस और संग्रह:*** आईसीडब्ल्यूए में सेंटर फॉर माइग्रेशन, मोबिलिटी एंड डायस्पोरा स्टडीज (सीएमएमडीएस) और प्रवासन-संबंधी अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे संस्थानों के माध्यम से, विदेश मंत्रालय चिन्हित किए गए उच्च प्रवासन जिलों में ई-माइग्रेट डेटाबेस के ज़रिए गहन गुणात्मक एवं मात्रात्मक अध्ययन को बढ़ावा दे सकता है।

**ग.** ***डेटा सुरक्षा:*** प्रवासी सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति या समूह के बारे में डेटा एकत्र करते समय, डेटा सुरक्षा के सख्त सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित आदान-प्रदान, सुरक्षित भंडारण एवं गोपनीयता के लिए डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

**घ.** ***टोकन जारी करने की प्रणाली:*** विदेश जाने के इच्छुक भारतीय प्रवासियों (छात्रों सहित) को वैश्विक स्तर पर भारतीय छात्रों की संख्या के बारे में विदेश मंत्रालय को अधिक सटीक जानकारी प्रदान करने हेतु अपना वीज़ा आवेदन जमा करने से पहले ऑनलाइन टोकन लेना अनिवार्य किया जा सकता है।

**ङ.** ***नीति समावेशन:*** मसौदा उत्प्रवासन विधेयक 2021 में, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आंकड़ों को स्पष्ट करने हेतु सांख्यिकीय डेटा और प्रशासनिक डेटाबेस तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता को शामिल किया जा सकता है।

**च.** ***ईगेट:*** ई-माइग्रेट प्रणाली से जुड़ी ईगेट प्रणाली सीमा पार से फ्लो को जानने के बोझ को सीमित करने में मदद करेगी, जिससे प्रवासन आंकड़ों के अधिक डिजिटल एवं व्यापक प्रबंधन की सुविधा मिलेगी।

## गृह मंत्रालय

### सामान्य सिफ़ारिशें

क. ***डेटा को पॉप्युलेट करने हेतु चैनलों का लाभ उठाना:*** प्रशासनिक रिकॉर्ड और जनगणना गणना डेटा एकत्र करने और प्रवासन पर नियमित एवं वार्षिक आंकड़े प्रकाशित करने के लिए एमएचए अपने चैनलों का इस्तेमाल कर सकता है।

ख. ***विभिन्न विभागों से डेटा का सामंजस्य बनाना:*** गृह मंत्रालय के संबंधित विभागों के साथ समन्वय और गतिविधियों को बढ़ाना प्रशासनिक डेटाबेस का प्रबंधन करना जिसमें माइग्रेशन-संबंधी डेटा शामिल हो, विवेकपूर्ण हो सकता है।

ग. ***विभिन्न मंत्रालयों से डेटा का सामंजस्य:*** अंतरराष्ट्रीय प्रवासन पर काम कर रहे अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय बढ़ाना केंद्रीकृत पृथक्करण एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आंकड़ों के प्रसार हेतु महत्वपूर्ण है।

### रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयोग का कार्यालय

अगली जनगणना की तैयारी में और इसे डिजिटल रूप प्रारूप में बनाने के इरादे पर विचार करते समय, निम्नलिखित विचार उपयोगी होंगे:

क. संभवतः अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय अनुशंसाओं के अनुरूप, प्रवास-संबंधी संकेतकों की स्पष्ट परिभाषाएँ प्रदान करना।

ख. जो व्यक्ति छह महीने या उससे अधिक समय तक देश से बाहर रहते हैं, भले ही उन्होंने भारत में रहने हेतु वापस आने का इरादा व्यक्त किया हो, उन्हें इससे बाहर रखा जाना चाहिए (छह महीने से कम समय तक विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को उनके मूल परिवार में शामिल किया जाना चाहिए लेकिन अस्थायी रूप से अनुपस्थित के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए)

### आप्रवासन ब्यूरो

क. प्रवासन डेटा के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने हेतु क्षमता विकास के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के **स्टॉक और प्रवाह** के बीच अंतर की बेहतर समझ को मजबूत करना।

ख. यात्रियों की आवश्यक सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर आगमन एवं प्रस्थान के आंकड़े तैयार करने और यात्रियों के मूल स्थान एवं भारत में या बाहर रहने की अवधि की पहचान करने हेतु सीमा नियंत्रण डेटाबेस का विकास आवश्यक है।

ग. रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, जनगणना आयोग और आप्रवासन ब्यूरो का घनिष्ठ सहयोग, जिसमें उनके संबंधित डेटाबेस का सामंजस्य एकत्र किए गए डेटा के आधार पर विदेशियों और भारतीय नागरिकों दोनों के प्रवासन फ्लों तैयार करने में योगदान कर सकता है।

## सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आँकड़े तैयार करने और प्रसारित करने वाली प्रमुख संस्था है। इसलिए, निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

क. सीएसओ का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रवासन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित सभी सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करना होना चाहिए।

ख. सीएसओ को माइग्रेशन डेटाबेस का प्रबंधन करने वाले विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग शुरू करना बढ़ाना चाहिए।

ग. श्रम बल सर्वेक्षण या अन्य घरेलू नमूना सर्वेक्षणों में वार्षिक आधार पर तदर्थ प्रवासन मॉड्यूल शामिल किया जाना चाहिए।

घ. मौजूदा सर्वेक्षणों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित अन्य प्रश्नों को शामिल करने से प्रवासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने और अद्यतन करने में मदद मिल सकती है, जिसमें राज्यों के बीच के अंतर को समझने और राष्ट्रव्यापी रुझानों पर डेटा प्रदान करने के लिए विदेश में रहने वाले सदस्यों के प्रश्न भी शामिल हैं।

ङ. विकास को मापने हेतु आवश्यक आर्थिक आयाम प्रदान करने के लिए घरेलू प्रेषण पर जानकारी शामिल करने हेतु सर्वेक्षण के दायरे को और बढ़ाया जा सकता है।

# टिप्पणियाँ

# टिप्पणियाँ

# टिप्पणियाँ

# टिप्पणियाँ

सहयोगकर्ता